

भारत सरकार  
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय  
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या: 3539  
21 मार्च, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

युवाओं में अवसाद के बढ़ते मामले

†3539. डॉ. एम. पी. अब्दुस्समद समदानी:

क्या स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास देश में युवाओं में अवसाद के बढ़ते मामलों से संबंधित आंकड़े हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा पिछले पांच वर्षों के दौरान कितने मामले सामने आए हैं;

(ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान अवसाद के कारण युवाओं द्वारा आत्महत्या के कितने मामले सामने आए हैं;

(ग) युवाओं में मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है, जिसमें जागरूकता कार्यक्रम, परामर्श सेवाएं और शैक्षणिक संस्थानों में मानसिक स्वास्थ्य सहायता का एकीकरण शामिल है;

(घ) क्या सरकार ने देश में युवाओं को लक्षित करते हुए आत्महत्या रोकथाम नीतियां लागू की हैं और यदि हां, तो 'तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) युवाओं में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों से निपटने के लिए हेल्पलाइन स्थापित करने, जागरूकता अभियान चलाने और प्रारंभ में ही रोकने के उपाय करने वाला कार्यक्रम संचालित करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए/किए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (ङ): सरकार द्वारा राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान (निमहांस), बेंगलुरु के माध्यम से देश के 12 राज्यों में कराए गए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण, 2016 के अनुसार, 13-17 आयु वर्ग में अवसाद की व्यापकता 0.8% है तथा 18-29 आयु वर्ग में यह 1.6% है।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) से प्राप्त सूचना के अनुसार, अवसाद के कारण युवाओं में आत्महत्या के मामलों का आंकड़ा केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखा जाता है।

देश में किफायती और सुलभ मानसिक स्वास्थ्य सेवा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार देश में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (एनएमएचपी) का कार्यान्वयन कर रही है। एनएमएचपी के जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (डीएमएचपी) घटक को 767 जिलों में कार्यान्वयन हेतु मंजूरी दी गई है, जिसके लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता प्रदान की जाती है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) के स्तर पर वृद्धजनों सहित सभी के लिए डीएमएचपी के तहत उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं में अन्य बातों के साथ-साथ बाह्य रोगी सेवाएं, मूल्यांकन, परामर्श/मनो-सामाजिक क्रियाकलाप, गंभीर मानसिक विकारों वाले व्यक्तियों को

निरंतर परिचर्या और सहायता, दवाएं, आउटरीच सेवाएं, एम्बुलेंस सेवाएं आदि शामिल हैं। उपरोक्त सेवाओं के अलावा जिला स्तर पर 10 बिस्तरों वाली इन-पेशेंट सुविधा का प्रावधान है। डीएमएचपी के उद्देश्य हैं:

- (i) स्कूलों और कॉलेजों में आत्महत्या रोकथाम सेवाएं, कार्यस्थल तनाव प्रबंधन, जीवन कौशल प्रशिक्षण और परामर्श प्रदान करना।
- (ii) जिला स्वास्थ्य सेवा वितरण प्रणाली के विभिन्न स्तरों पर रोकथाम, संवर्धन और दीर्घकालिक सतत परिचर्या सहित मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना।
- (iii) मानसिक स्वास्थ्य परिचर्या के लिए अवसंरचना, उपकरण और मानव संसाधन के संदर्भ में संस्थागत क्षमता का संवर्धन
- (iv) मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के वितरण में सामुदायिक जागरूकता और भागीदारी को बढ़ावा देना।

सरकार प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा स्तर पर भी मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए कदम उठा रही है। सरकार ने 1.75 लाख से अधिक उप स्वास्थ्य केंद्रों (एसएचसी) और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) को आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में उन्नयन किया है। इन आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में प्रदान की जाने वाली व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या के तहत सेवाओं के पैकेज में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को भी जोड़ा गया है। आयुष्मान भारत के तहत आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में मानसिक, तंत्रिका संबंधी और मादक द्रव्य के सेवन संबंधी (एमएनएस) पर विभिन्न संवर्गों के लिए परिचालन दिशानिर्देश और प्रशिक्षण मैनुअल जारी किए गए हैं।

किशोर आबादी के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 2014 से राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरकेएसके) का कार्यान्वयन किया है। आरकेएसके में स्कूल जाने वाले और न जाने वाले दोनों तरह के किशोर शामिल किए गए हैं। यह क्लिनिक आधारित सेवाओं से संवर्धन और निवारण तथा किशोरों तक उनके अपने वातावरण, यथा स्कूलों, परिवारों और समुदायों में पहुँचने की दिशा में एक महत्वपूर्ण बदलाव है। यौन और प्रजनन स्वास्थ्य (एसआरएच), पोषण, चोट और हिंसा (लिंग आधारित हिंसा सहित), गैर-संचारी रोग और मादक द्रव्यों के दुरुपयोग के अलावा मानसिक स्वास्थ्य आरकेएसके के प्रमुख विषयगत क्षेत्रों में से एक है।

शिक्षा मंत्रालय देश भर में छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण को बेहतर बनाने की दिशा में सक्रिय रूप से काम कर रहा है। मंत्रालय की एक पहल, 'मनोदर्पण', कोविड महामारी के दौरान और उसके बाद छात्रों, शिक्षकों और परिवारों को मानसिक और भावनात्मक आरोग्य के लिए मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करने संबंधी क्रियाकलाप की एक विस्तृत शृंखला को शामिल करती है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उच्च शिक्षा संस्थानों में शारीरिक फिटनेस, खेल, छात्र स्वास्थ्य, कल्याण, मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं, जो छात्रों के लिए शारीरिक फिटनेस और खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने; शैक्षणिक दबाव, साथियों के दबाव, व्यवहार संबंधी मुद्दों, तनाव, कैरियर संबंधी चिंताओं, अवसाद और छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य संबंधी अन्य मुद्दों के प्रति सुरक्षा उपाय बनाने; छात्र समुदाय में सकारात्मक सोच और भावनाओं को सिखाने; और छात्रों के लिए एक सकारात्मक और सहायक नेटवर्क को बढ़ावा देने के लिए प्रदान करता है।

सरकार ने नवंबर, 2022 में राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम कार्यनीति भी जारी की है। यह कार्यनीति मंत्रालय की वेबसाइट (<https://mohfw.gov.in/sites/default/files/National%20Suicide%20Prevention%20Strategy.pdf>) पर उपलब्ध है।

उपरोक्त के अलावा, सरकार ने देश में गुणवत्तापूर्ण मानसिक स्वास्थ्य परामर्श और परिचर्या सेवाओं तक पहुँच को और बेहतर बनाने के लिए 10 अक्टूबर, 2022 को “राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम” आरंभ किया है। 19.03.2025 तक, 36 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने 53 टेली मानस प्रकोष्ठ स्थापित किए हैं और टेली मानसिक स्वास्थ्य सेवाएँ शुरू की हैं। हेल्पलाइन नंबर पर 19,67,000 से अधिक कॉल प्राप्त हुई हैं।

सरकार ने विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस - 10 अक्टूबर, 2024 के अवसर पर टेली मानस मोबाइल एप्लिकेशन भी जारी किया है। टेली-मानस मोबाइल एप्लिकेशन एक व्यापक मोबाइल प्लेटफॉर्म है जिसे मानसिक स्वास्थ्य से लेकर मानसिक विकारों तक के मुद्दों के लिए सहायता प्रदान करने के लिए विकसित किया गया है।

\*\*\*\*\*